

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री रोबो स्पीशीज टेक्नोलाजीस प्रा०लि०, ए-90, लोवर ग्राउन्ड फ्लोर, सेक्टर-
4, नोएडा ।
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक 033 / 13 23.07.2013 (प्रतिप्रेषित)
प्रार्थी की ओर से डॉ० रवेन्द्र शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ के द्वारा प्रतिप्रेषित वाद पर निर्णय

सर्वश्री रोबो स्पीशीज टेक्नोलाजीस प्रा०लि०, ए-90, लोवर ग्राउन्ड फ्लोर, सेक्टर-4, नोएडा द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संख्या-033 / 13 दिनांक 23.07.2013 पर दिनांक 12.09.2013 को निर्णय देते हुए व्यापारी द्वारा प्रस्तुत बोर्ड जिस पर Components यथा-resistors, capacitor's diodes, LED's transistor's integrated Circuits Buttons, Small LCD's आदि से निर्मित वस्तु पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अनुसार अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5 + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होने का निर्णय दिया गया था । सर्वश्री रोबो स्पीशीज टेक्नोलाजीस प्रा०लि०, ए-90, लोवर ग्राउन्ड फ्लोर, सेक्टर-4, नोएडा द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी । माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 10.12.2015 द्वारा व्यापारी की अपील स्वीकार की गयी एवं वाद पुनः निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया । माननीय अधिकरण द्वारा यह निर्णय दिया गया कि आवेदनकर्ता द्वारा रोबोट में प्रयोग किये जाने वाला पार्ट जिसमें एक बोर्ड पर विभिन्न कम्पोनेन्ट संयोजित थे, यह पार्ट कम्प्यूटर मदर बोर्ड से भिन्न है अथवा उससे समानता रखती है इसकी जाँच कमिश्नर स्तर से की जानी आवश्यक है एवं तदनुसार व्यापारी को सुनवाई का पुनः अवसर देते हुए तथा उनके द्वारा प्रस्तुत नमूनों के सम्बन्ध में जाँच करते हुए करदेयता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाये ।

2. सर्वश्री रोबो स्पीशीज टेक्नोलाजीस प्रा०लि०, ए-90, लोवर ग्राउन्ड फ्लोर, सेक्टर-4, नोएडा की ओर से डॉ० रवेन्द्र शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा लिखित तर्क एवं नमूने प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत तर्कों में उनके द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा Robotic Mother board पर करदेयता के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे निर्णय दिनांक 12.09.2013 द्वारा अवर्गीकृत मानते हुए शेड्यूल-V के अन्तर्गत करयोग्य माना गया था जबकि बाद में प्रार्थना-पत्र संख्या-041 / 14 में निर्णय दिनांक 15.10.2014 द्वारा Computer Mother board को Printed circuit board मानते हुए शेड्यूल-II, पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या-13 के अनुसार 4% की दर से करयोग्य माना गया । उनके द्वारा अपने तर्कों में कहा गया है कि Mother board में भी resistors, capacitor's diodes, LED's transistor's integrated Circuits (IC's) Buttons, Small LCD's आदि एक बोर्ड पर mount किये जाते हैं तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पार्ट भी एक Mother board ही है जिसका प्रयोग

सर्वश्री रोबो स्पीशीज टेक्नोलाजीस प्रा0लि0 / प्रा0 पत्र सं0-033 / 13 (प्रतिप्रेषित) / पृष्ठ-2

रोबोट में किया जाता है तथा इसमें भी resistors, capacitor's diodes, LED's transistor's integrated Circuits (IC's) Buttons, Small LCD's इत्यादि बोर्ड पर माउन्ट होते हैं। Computer Mother board एवं Robotic Mother board में केवल physical size का अन्तर होता है। अतः प्रार्थना-पत्र संख्या-041 / 14 में दिये गये निर्णय दिनांक 15.10.2014 के अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्पाद भी शेड्यूल-II, पार्ट-बी की प्रविष्टि क्रमांक-13 पर अंकित Printed circuit board है एवं तदनुसार 4% की दर से करयोग्य है। आवेदनकर्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि उक्त तर्क को यदि न भी माना जाये तो भी आवेदनकर्ता का उत्पाद Micro-assemblies के रूप में वर्गीकृत होने योग्य है जो शेड्यूल-II, पार्ट-बी की प्रविष्टि क्रमांक-17 से आच्छादित है। Commissioner of Customs vs. Instrument research Associates के वाद में माननीय इक्साइज एण्ड गोल्ड ट्रिब्युनल, बंगलौर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.04.2004 में Micro-assemblies की विस्तृत व्याख्या करते हुए LED डिसप्ले को Micro-assemblies माना गया है। अतः आवेदनकर्ता का उत्पाद भी जिसमें Printed circuit board पर विभिन्न electronic components संयोजित किये गये हैं भी एक Micro-assemblies ही है। अतः उक्त सिद्धान्तों एवं न्यायिक निर्णयों के आधार पर आवेदनकर्ता के उत्पाद को Printed circuit board / Micro-assemblies के रूप में वर्गीकृत मानते हुए करदेयता निर्धारित की जाये।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत नमूने एवं Mother board की जाँच करते हुए कहा गया है कि मदर बोर्ड एक प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड है जिसमें कि कम्प्यूटर के प्रमुख Components, अन्य डिवाइस और Connectors होते हैं जो कि अन्य सर्किट बोर्डों को जोड़ने के लिए लगा होता है।

“ An essential circuit board on which CPU, memory, and required support chips are mounted, which also provides connectors for auxiliary or optional components, and forms the backbone of a minicomputer or microcomputer, ”

(Page 217, An Executive Guide to Information Technology Principles, Business Model and Terminology, By Robert Plant, Stephen Murrell, Cambridge University Press)

मदर बोर्ड के आकार और स्वरूप को Form Factor कहते हैं। Form Factor निर्धारित करता है कि कहाँ एक Component जायेगा और कम्प्यूटर केस का क्या आकार रहेगा। विभिन्न प्रकार के Specific Form Factor ज्यादातर पी0सी0 मदर बोर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि सभी स्टैन्डर्ड केस में फिट हो सके।

Form Factor बहुतों में से एक स्टैन्डर्ड है जो मदर बोर्ड पे प्रभाव डालते हैं। कुछ अलग स्टैन्डर्ड है जैसे कि :-

1. माइक्रो प्रोसेसर का सर्किट यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार का CPU मदर बोर्ड इस्तेमाल करेगा।
2. चिपसेट मदर बोर्ड के लॉजिक सिस्टम का हिस्सा है और ये दो हिस्सों से बना है नार्थ ब्रिज एवं साउथ ब्रिज।
3. Basic Input / Output System (BIOS) चिप कम्प्यूटर के नियन्त्रित करती है लगभग सभी

सर्वश्री रोबो स्पीशीज टेक्नोलाजीस प्रा0लि0 / प्रा0 पत्र सं0-033 / 13 (प्रतिप्रेषित) / पृष्ठ-3

Basic Function और हर बार Self Test करती है जब भी इसे खोला जाता है। कुछ सिस्टम में Dual BIOS का फिचर होता है जो Backup देते हैं अगर Update करते वक्त Fail या error आ जाये।

4. रियल टाइम क्लॉक चिप बैट्री से चलती है और मूल्य सेटिंग्स और सिस्टम टाइम Maintain करती है। Slot और Port जो मदर बोर्ड पर होते हैं उनमें वस्तुतः यह मौजूद है :-

Peripheral Component Inter Connect (PCI)-विडियो, साउंड और विडियो कैप्चर कार्ड का कनेक्शन और सारे ही नेटवर्क कार्ड।

Accelerated Graphics Port (AGP) विडियो कार्ड के लिए Port

Integrated Drive Electronics (IDE) हार्ड Drives के लिए इंटरफेस।

Universal Serial Bus Or FireWire-बाहरी Peripherals

Memory Slots

Redundant Array of Independent Discs (RAID) controllers कम्प्यूटर को कई Drives को एक ही तरह पहचानने में मदद करते हैं।

PCI Express नये प्रोटोकॉल जो कि नेटवर्क की तरह काम करता है न कि Bus की तरह। यह एक और पोर्ट की जरूरत को खत्म कर देता है।

कुछ मदर बोर्ड Plug-in cards की जगह Onboard sound, Networking, Video और अन्य Peripheral Support देते हैं।

मदर बोर्ड कम्प्यूटर सिस्टम के इन हिस्सों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है :-

Organization of devices :

वस्तुतः हर चीज मदर बोर्ड से Connected है और मदर बोर्ड की संरचना एवं डिजाइन यह निर्धारित करती है कि कम्प्यूटर किस तरह से Organize होगा।

Control of the devices :

मदर बोर्ड में Built-in है Chipset और BIOS Program जो इन दोनों के बीच में Dataflow को कंट्रोल करती है विभिन्न कम्प्यूटर्स सिस्टम में।

System Communication :

मूलतयः सारे कम्प्यूनिक्शन PC और उसके Peripheral, दूसरे PC, Users मदर बोर्ड से होकर जाते हैं।

Processor Support :

मदर बोर्ड का साकेट यह बताता है कि किस तरह का प्रोसेसर आप अपने सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं।

Peripheral Support :

मदर बोर्ड के कम्पोनेन्ट यह निर्धारित करते हैं कि किस तरह के Peripheral एक व्यक्ति

सर्वश्री रोबो स्पीशीज टेक्नोलाजीस प्रा०लि० / प्रा० पत्र सं०-033 / 13 (प्रतिप्रेषित) / पृष्ठ-4

अपने PC में इस्तेमाल करते हैं।

System Performance :

मदर बोर्ड आपके सिस्टम के परफारमेन्स का महत्वपूर्ण हिस्सा है ; यह निर्धारित करता है कि किस तरह के प्रोसेसर, मेमोरी, सिस्टम बस और हार्डडिस्क इण्टरफेस के स्पीड सिस्टम को उसके कनेक्टर और BIOS Setting को प्राप्त हो सकता है। अगर आप कई वर्षों बाद अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको बोर्ड, सी०पी०यू० और मेमोरी भी बदलनी पड़ेगी।

Upgradeability :

मदर बोर्ड जैसे-जैसे नये बनते जा रहे हैं नये प्रोसेसर के साथ Compatible न हों क्योंकि आपके हार्डवेयर की सीमाएं हैं कि Circuitry Built-in जो कि बोर्ड में लगा है खुद ही उसको Run नहीं करने देगा।

दिये गये मदर बोर्ड में सभी Standard Component मौजूद हैं जो कि कम्प्यूटर को चलाने के लिए जरूरी हैं। मगर इस यूनिट में Micro Processor और उसकी Cooling Unit, जिसमें Cooling Fan और Heat sink जो Chipset के Temperature को बनाये रखने के लिए होती है, मौजूद है।

Micro Processor, जिसे कभी-कभी Logic chip भी कहा जाता है, एक कम्प्यूटर प्रोसेसर है जो कि Micro chip पर आधारित है। Micro Processor में सभी Central Processing Unit के कार्य होते हैं और ये वह Engine है जो कम्प्यूटर On करते ही चालू हो जाता है। Micro Processor को Design किया गया है Arithmetic और Logic Operations को करने के लिये और यह इस्तेमाल करते हैं Small Number Holding Areas जिन्हें Registers कहा जाता है। ज्यादातर Micro Processor का कार्य एक area से दूसरे area के मध्य Adding, Subtracting, Comparing two Numbers और Fetching Numbers करने का होता है। यह Operation Micro Processor की Design में अन्तर्निहित Set of instructions के परिणामस्वरूप होते हैं।

मदर बोर्ड सिर्फ Micro Processor के लिए Socket देता है। मदर बोर्ड के अन्तर्गत Micro Processor नहीं आता है।

Cooling की आवश्यकता कम्प्यूटर Component से Waste heat हटाने के लिए होती है ताकि सारे Component निर्धारित Operating Temperature Limit में बने रहें। Over heat होने की दशा में Component का Temporary malfunction या Permanent failure हो सकता है। इन Component में Integrated Circuits जैसे कि CPU, Chipset, Graphicscard और Hard disc drive आते हैं।

Components को ऐसे Design किया जाता है जिससे कि वह कम-से-कम Heat उत्पन्न करें और कम्प्यूटर एवं Operating System को ऐसे डिजाइन किया जाता है जिससे वह कम-से-कम Power Consumption और Heating, workload के हिसाब से उत्पन्न करे, मगर Heat generation निरन्तर प्रक्रिया है। Heat sinks का इस्तेमाल Temperature को कम रखने में किया जाता है। यह Airflow के द्वारा Temperature को बढ़ने नहीं देते हैं। कम्प्यूटर Fan को Heat sinks के साथ इस्तेमाल किया जाता है Temperature को कम करने

सर्वश्री रोबो स्पीशीज टेक्नोलाजीस प्रा०लि० / प्रा० पत्र सं०-033 / 13 (प्रतिप्रेषित) / पृष्ठ-5

के लिये Hot air को बाहर की तरफ Exhaust करते हैं।

जो Hardware उपलब्ध कराया गया है उसमें Micro Processor और Cooling system भी है। Micro Processor और Cooling unit जो कि Fan और Heat sink के साथ बाहर से Screwed है और PCB unit का हिस्सा नहीं है इसलिये इसको मदर बोर्ड नहीं कहा जा सकता बल्कि इसे “ **Mother board के साथ Micro Processor और Cooling unit** ” कहा जायेगा।

4. मेरे द्वारा उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया तथा प्रस्तुत नमूने का अवलोकन किया गया। आवेदनकर्ता द्वारा जो नमूना उपलब्ध कराया गया है उसमें Mother board के विभिन्न पार्ट के साथ Micro Processor system एवं Cooling unit संयोजित है तथा Micro Processor और Cooling unit जो कि Fan और Heat sink के साथ बाहर से Screwed है और किसी भी PCB unit का हिस्सा नहीं है। अतः प्रश्नगत उत्पाद को Mother board नहीं कहा जा सकता एवं प्रश्नगत उत्पाद Mother board से भिन्न है तथा Robotic की आवश्यकताओं के अनुरूप इसे विशेष स्पेशिफिकेशन से संयोजित किया गया है एवं तदनुसार यह रोबोट का पार्ट है तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III व IV में वर्गीकृत नहीं है एवं तदनुसार इस पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई० टी० अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 07 फरवरी, 2017

ह० / 07.02.2017
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।